सत्यपाल आनंद

बनाम

मप्र राज्य व अन्य

(विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 33644/2011)

6 मई 2014

[अनिल आर. दवे और ए.के. सीकरी, जे.जे.]

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1960-धारा 3-सहकारी समिति-धारा 3 के तहत रजिस्ट्रार की नियुक्ति-धारा 3 की वैधता-चुनौती-धारित: रजिस्ट्रार के अधिकांश कार्य प्रशासन के क्षेत्र में हैं और अर्द्ध -न्यायिक चरित्र वाले कुछ अतिरिक्त कर्तव्यों के साथ शासन-ऐसी स्थिति में और विशेष रूप से जब एक न्यायाधिकरण का गठन अदालत की सभी सुविधाओं के साथ किया जाता है, जिसमें रजिस्ट्रार या उसके नामांकित व्यक्ति के आदेशों से अपील सुनने की शक्ति होती है, कोई दोष नहीं पाया जाता है। अधिनियम की धारा 3 के साथ सरकार को व्यक्तियों को रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार आदि के रूप में नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है, जरूरी नहीं कि वे कानूनी/न्यायिक पृष्ठभूमि वाले हों-धारा 3 की शक्तियों को चुनौती खारिज कर दी गई।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960-धारा 3 -सहकारी सोसायटी-रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार आदि और सहकारी न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की आवश्यकता है, यह देखते हुए कि राज्य सरकार, अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार आदि द्वारा किए जाने वाले कार्यों को ध्यान में रखते हुए और उनके अनुरूप, उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी-इसी तरह, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिकरण के अध्यक्ष हैं न्यायिक व्यक्ति होने के लिए, अर्थात् उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश, अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए, आर.गांधी मामले में प्रतिवादी-राज्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखने और उसका पालन करने के लिए बाध्य है। अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए -

2 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 6 एस.सी.आर.

इन पदों पर चयन अधिमानतः उच्च न्यायालय के परामर्श से लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाना चाहिए।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960- धारा 77(3) (बी) सहकारी न्यायाधिकरण-की संरचना-धारा 77 (3) (बी) के अनुसार नियुक्त न्यायाधिकरण के सदस्य-धारा 77(3) की वैधता)(बी)-माना गया: वैध-योजना से पता चलता है कि दो सदस्यों में से एक 'प्रशासनिक सदस्य'

होगा और दूसरा 'न्यायिक सदस्य' हो सकता है, हालांकि ऐसा नामकरण विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं है- में एक पूर्व न्यायाधीश शामिल होता है अध्यक्ष, एक सदस्य जो विभाग में संयुक्त रजिस्ट्रार के उच्च पद पर रहा हो और दूसरा सदस्य या तो कानूनी पृष्ठभूमि वाला हो या सहकारी आंदोलन से निकटता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो-प्रावधान में कोई दोष नहीं।

एमपी राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960-धारा 77(6)-सहकारी न्यायाधिकरण-धारा 77(6) राज्य सरकार को अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति समाप्त करने की शक्ति देता है।धारा 77 की वैधता 6)-चुनौती-माना गया: धारा 77(6) के तहत शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाना है जब राज्य सरकार ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की अपने कार्यालय के कर्तव्यों को निभाने में असमर्थता या अयोग्यता के बारे में एक राय बनाती है-राय हो सकती है व्यक्तिपरक हो, लेकिन वस्तुनिष्ठ विचार/रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर आधारित हो-यह सरकार को प्रदत्त एक सर्वव्यापी या अनिर्देशित/अविश्लेषित शक्ति नहीं है-इसके अलावा, निर्णय हमेशा न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है-इसके अलावा, उप-धारा (6) का प्रावधान) की धारा 77 अतिरिक्त सुरक्षा उपाय प्रदान करती है जो ऐसी समाप्ति के खिलाफ कारण बताने का उचित अवसर देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य करती है-अंतिम राय केवल बचाव पर विचार करने और विचार करने के बाद बनाई जाएगी-इसलिए, ऐसा करने का कोई कारणनहीं है एक प्रावधान असंवैधानिक है।

याचिकाकर्ता ने मप्र की धारा 3 की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। राज्य कॉ- सत्यपाल आनंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य 3 ऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम, 1960 के इस प्रावधान ने राज्य सरकार को सहकारी सोसायटी के रजिस्ट्रार, साथ ही अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार आदि की नियुक्ति की अनुमति दी। याचिकाकर्ता ने धारा 77 में जोड़े गए परंतुक को भी चुनौती दी। (3)(बी) और अधिनियम की धारा 77(6) असंवैधानिक है। याचिकाकर्ता की शिकायत यह थी कि इन प्रावधानों में कानून की कोई शिक्षा न रखने वाले व्यक्तियों को न्यायिक कार्य करते हुए भी नियुक्त करने का प्रावधान है, जो कि अनुमति योग्य नहीं है और प्रथम दृष्टया संविधान के अनुच्छेद 14 और 21. का उल्लंघन है।

उच्च न्यायालय ने अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता की चुनौती को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान विशेष अनुमति याचिका।

इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए यह प्रश्न उठा कि क्या म.प्र. की योजना को ध्यान में रखते हुए कानूनी और/या न्यायिक पृष्ठभूमि वाले रजिस्ट्रार की नियुक्ति करना अनिवार्य है? राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960।

कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित किया:

1.1. के प्रावधानों के तहत रजिस्ट्रार म.प्र. राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1960 सहकारी आंदोलन का कार्यकारी प्रमुख है जिसका उद्देश्य समुदाय के कमजोर वर्गों को ताकत प्रदान करना है और यह एक खुले द्वार की नीति के माध्यम से योगदान पर आधारित है। रजिस्ट्रार को "मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक" माना जाता है और उसे यह देखना आवश्यक है कि सहकारी आंदोलन निर्धारित सीमा के भीतर रहे। हालाँकि, कुछ प्रकार के विवादों पर विचार करने और उस पर निर्णय लेने के लिए रजिस्ट्रार को सीमित शक्तियाँ दी गई हैं। [पैरा 7,8] [12-जी-एच; 13-ए, एफ]

1.2. रजिस्ट्रार की अधिकांश शक्तियाँ प्रशासनिक प्रकृति की हैं। उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रार कोई भी निर्णय नहीं ले रहा है। वह उक्त अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारियों में से एक है। साथ ही, रजिस्ट्रार को कुछ अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ भी दी जाती हैं। इसलिए, उस मामले में अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार, प्रशासकों की प्रमुख भूमिका के साथ, दो टोपी पहने हुए हैं। याचिकाकर्ता का मामला यह नहीं है कि न्यायिक कार्य रजिस्ट्रार से छीनकर किसी अन्य प्राधिकारी को सौंप दिया

जाए। याचिकाकर्ता ने कानूनी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को रजिस्ट्रार आदि के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध किया है ताकि वह पक्षों के बीच विवाद को अधिक प्रभावी ढंग से तय कर सके, क्योंकि उनके अनुसार, बिना कानूनी/न्यायिक पृष्ठभूमि वाला कोई भी व्यक्ति उन मामलों का फैसला करने में असमर्थ है। हालाँकि, उलटी स्थिति में वही तर्क दूसरे पक्ष द्वारा भी उठाए जा सकते हैं। यदि कानूनी पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति को इनमें से किसी भी पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उसकी नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि ऐसा व्यक्ति अर्ध न्यायिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए उपयुक्त होगा, लेकिन अन्य प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए पूरी तरह से अयोग्य होगा जो प्राथमिक हैं और उक्त कार्यालय से जुड़े दिन- प्रतिदिन के कर्तव्य। [पैरा 11] [15-ई-एच; 16-ए-बी]

1.3. यह ऐसा मामला नहीं है जहां विवाद पर निर्णय लेने वाले रजिस्ट्रार के आदेश को अंतिम बना दिया गया हो। ऐसा नहीं है. दरअसल, अधिनियम के अध्याय दस के तहत म.प्र.राज्य सहकारी न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। इस में अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होते हैं। जहां तक अध्यक्ष का सवाल है, धारा 77 (3) (ए) स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति अधिकरण का अध्यक्ष बनने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो या जिला न्यायाधीश का पद धारण न कर चुका हो। कम से कम 5 वर्ष के

लिए. इसी तरह, अधिकरण के दो सदस्यों के संबंध में, धारा 77 (3) (बी) में स्पष्ट शर्त है कि उनमें से एक सहकारी का अधिकारी होगा

सत्यपाल आनंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य 5 विभाग संयुक्त रजिस्ट्रार के पद से नीचे नहीं होना चाहिए, और दूसरा गैर-आधिकारिक सहकारी आंदोलन से निकटता से जुड़ा होना चाहिए या एक वकील या एक वकील होना चाहिए जिसके पास कम से कम 15 साल की अवधि का व्यावहारिक अनुभव हो। की ऐसी संरचना के साथ, जिसे रजिस्ट्रार या उसके नामित व्यक्ति के आदेशों से अपील सुनने की शक्ति दी जाती है, याचिकाकर्ता की आशंका का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है। रजिस्ट्रार के आदेशों की अपील सुनने के अलावा को पुनरीक्षण और समीक्षा की शक्ति भी दी जाती है। इसी तरह की योजनाएं विभिन्न अन्य क़ानूनों में प्रदान की गई हैं, जिसमें सूची की पहली सीढ़ी पर, प्रशासनिक अधिकारियों को उन आदेशों के खिलाफ अपील के प्रावधान के साथ निर्णय लेने की शक्तियां दी गई हैं। चूंकि रजिस्ट्रार के अधिकांश कार्य प्रशासन और शासन के क्षेत्र में होते हैं और कुछ अतिरिक्त कर्तव्यों में अर्ध न्यायिक चरित्र होता है, ऐसी स्थिति में और विशेष रूप से जब एक न्यायाधिकरण का गठन अदालत के सभी साजो-सामान के साथ किया जाता है, तो इसमें कोई दोष नहीं पाया जाता है। अधिनियम की धारा 3 का प्रावधान सरकार को ऐसे व्यक्तियों को रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार आदि के रूप में नियुक्त करने का अधिकार देता है, जो जरूरी नहीं कि

कानूनी/न्यायिक पृष्ठभूमि वाले हों। इसलिए, अधिनियम की धारा 3 की शक्तियों को चुनौती खारिज की जाती है। [पैरा 12,13] [16-सी-जी; 17-ए-सी]

1.4. जहां तक अधिनियम की धारा 77 (3) (बी) और धारा 77 (6) के प्रावधानों का सवाल है, इन प्रावधानों को असंवैधानिक मानने का शायद ही कोई कारण है। धारा 77 सहकारी न्यायाधिकरण से संबंधित है। इस न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष न्यायिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति का अध्यक्ष बनने के लिए तब तक योग्य नहीं है जब तक कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो या जिसने कम से कम 5 वर्षों तक जिला न्यायाधीश का पद संभाला हो। न्यायाधिकरण के दो सदस्यों को विवादित प्रावधानों अर्थात् धारा 77 (3) (बी) के अनुसार नियुक्त किया जाना है।

कार्यवाही करना। योजना से पता चलता है कि दोनों में से एक 'प्रशासनिक सदस्य' होगा और दूसरा 'न्यायिक सदस्य' हो सकता है, हालांकि ऐसा नामकरण विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया है। हालाँकि, उस प्रावधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि सदस्यों में से एक सदस्य संयुक्त रजिस्ट्रार के पद से नीचे का व्यक्ति नहीं होगा। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने संयुक्त रजिस्ट्रार के रूप में काम

किया होगा और उस क्षमता में सहकारी समितियों के कामकाज के बारे में प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया होगा। उस क्षमता में, उन्हें पार्टियों के बीच विवादों को तय करने का कुछ अनुभव भी प्राप्त हुआ होगा जो उन्हें सौंपा जा सकता है। अन्य सदस्य गैर- आधिकारिक होना चाहिए और वह ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सहकारी आंदोलन से निकटता से जुड़ा हो या कम से कम 15 वर्ष की अवधि के लिए व्यावहारिक अनुभव वाला वकील या वकील हो। इसलिए, अन्य सदस्य कानूनी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति हो सकते हैं। संक्षेप में, में अध्यक्ष के रूप में एक पूर्व न्यायाधीश, एक सदस्य जो विभाग में संयुक्त रजिस्ट्रार के उच्च पद पर रहा हो और दूसरा सदस्य या तो कानूनी पृष्ठभूमि वाला या सहकारी आंदोलन से निकटता से जुड़ा हुआ व्यक्ति होताहै। अत: इस प्रावधान में भी कोई दोष नहीं है। [पैरा 14] [17-डी-एच; 18-ए-बी]

1.5. जहां तक अधिनियम की धारा 77(6) का सवाल है, यह राज्य सरकार को अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति समाप्त करने की शक्ति देता है, यदि उसकी राय में, ऐसा अध्यक्ष या सदस्य कर्तव्य निभाने में असमर्थ या अयोग्य है। उसके कार्यालय का. इस प्रकार, यह शक्ति तभी दी जाती है जब राज्य सरकार ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थता या अयोग्यता के बारे में ऐसी राय बनाती है। यह राय व्यक्तिपरक हो सकती हैलेकिन इसे वस्तुनिष्ठ विचार/रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर आधारित होना चाहिए। चूंकि राज्य सरकार नियुक्ति

प्राधिकारी है, इसलिए हटाने की शक्ति आवश्यक रूप से नियुक्ति करने वाले में निहित होनी चाहिए

सत्यपाल आनंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य अधिकार, यह सरकार को प्रदत्त कोई सर्वव्यापी या अनिर्देशित/ अविश्लेषित शक्ति नहीं है। इसके अलावा,निर्णय हमेशा न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। किसी दिए गए मामले में यदि शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से या बिना किसी सामग्री के किया जाता है जिसके आधार पर ऐसी राय बनती है, तो इसका निवारण कानून की अदालत द्वारा किया जा सकता है। धारा 77 की इस उपधारा (6) का अतिरिक्त प्रावधान एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय प्रदान करता है जो इस तरह की समाप्ति के खिलाफ कारण बताओ का उचित अवसर देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य करता है। इस प्रकार, जब ऐसी कार्रवाई पर विचार किया जाता है, तो सरकार कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए बाध्य है जिसमें आवश्यक रूप से कारण/सामग्री शामिल होगी जिसके आधार पर यह विश्वास कायम किया जाता है कि ऐसा अध्यक्ष या सदस्य पद पर बने रहने में असमर्थ या अयोग्य होगा। अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए। नोटिस प्राप्तकर्ता उचित उत्तर देकर इसका खंडन करने के लिए स्वतंत्र होगा। अंतिम राय बचाव पक्ष को जानने और उस पर विचार करने के बाद ही बनेगी। इसलिए, ऐसे प्रावधान को असंवैधानिक मानने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 15] [18-सी-एच; 19-ए]

ठाकुर जुगल किशोर बनाम सीतामढी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एआईआर 1967 एससी 1494: 1967 एससीआर 163; मुकरी गोपालन बनाम. चेपिलाट पुथमपुरयिल अबूबकर एआईआर 1995 एससी 2272: 1995 (2) सप्ल एससीआर 1; पी. सारथी बनाम. भारतीय स्टेट बैंक एआईआर 2000 एससी 2023: 2000 (1) सप्ल एससीआर 402; यूओआई वी. आर.गांधी अध्यक्ष मद्रास

बार एसोसिएशन, (2010) 11 एससीसी 1 और गुजरात राज्य बनाम गुजरात राजस्व न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन, (2012) 10 एससीसी 353 को अनुपयुक्त ठहराया गया।

नमित शर्मा बनाम यूओआई, (2013) 1 एससीसी 745-आंशिक रूप से समीक्षा की गई।भारत संघ बनाम नमित शर्मा (समीक्षा याचिका (सी) संख्या 2309/2012 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 3 सितंबर, 2013) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1) बनाम समाज कल्याण संस्थान और अन्य। 2002 (5) एससीसी 685: 2002 (3) एससीआर 1040 पर भरोसा किया गया।

8 सर्वोच्य न्यायालय रिपोर्ट [2014]6 एस.सी.आर.

महाराष्ट्र सहकारी न्यायालय बार एसोसिएशन, बॉम्बे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 1990 मह.एल.जे. 1064-संदर्भित।

2.1. न केवल रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार आदि के रूप में बल्कि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में भी उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की आवश्यकता है। अर्द्ध-न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते समय रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार आदि को यह ध्यान रखना होगा कि उन्हें अपने कामकाज में स्वतंत्र होना होगा। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सामने आने वाले विवादों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता हासिल करें। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मामले को उचित और निष्पक्ष रूप से तय करने और कानूनी रूप से टिकाऊ आदेश पारित करने के लिए प्रतिस्पर्धी अधिकारों के प्रति सचेत रहें। [पैरा 19] [21-एच; 22-ए-बी]

2.2. यह निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार अधिनियम के उद्देश्य, रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार आदि द्वारा किए जाने वाले कार्यों को ध्यान में रखेगी और उनके अनुरूप उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी। इसी तरह, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि का अध्यक्ष एक न्यायिक व्यक्ति, अर्थात् उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश होता है, अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए, प्रतिवादी-राज्य है आर.गांधी मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले को ध्यान में रखना और उसका पालन करना कर्तव्य है। इस प्रकार, के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए, इन पदों पर चयन अधिमानतः

उच्च न्यायालय के परामर्श से लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाना चाहिए। [पैरा 20] [22-ए-सी]।

यूओआई बनाम आर.गांधी अध्यक्ष मद्रास बार एसोसिएशन, (2010) 11 एससीसी 11 पर भरोसा किया।

केस कानून संदर्भ:

1967 एससीआर 163 को अनुपयुक्त माना गया	पैरा 9
1995 (2) सप्ल. एससीआर 1 अयोग्य ठहराया गया	पैरा 9
2000 (1) सप्ल. एससीआर 402 अयोग्य ठहराया गया	पैरा 9
1990 महा.एल.जे. 1064 निर्दिष्ट	पैरा 10
(2010) 11 एससीसी 1 अयोग्य ठहराया गया	पैरा 10
(2012) 10 एससीसी 353 अयोग्य ठहराया गया	पैरा 10
(2013) 1 एससीसी 745 आंशिक रूप से समीक्षा की गई	पैरा 10
2002 (3) एससीआर 1040 पर भरोसा	पैरा 18
(2010) 11 एससीसी 1 पर भरोसा	पैरा 20

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: विशेष अनुमतियाचिका (सी) संख्या 33644/2009 के डब्लूपी संख्या 6729/2011 में

जबलपुर में मप्र उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 03.08.2011 से।

व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता।

प्रत्यर्थीगण के लिए नवीन शर्मा, स्वाति बी शर्मा,मिश्रा सौरभ।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

ए.के.सीकरी, जे.

1. याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका की प्रकृति में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, प्रिंसिपल सीट, जबलपुर में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर की थी। उस याचिका में याचिकाकर्ता ने मप्र की धारा 3 की वैधता को चुनौती दी है. राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) उस सीमा तक जहां तक यह प्रावधान राज्य सरकार को अनुमति देता है

सहकारी समिति के रजिस्ट्रार, साथ ही अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार आदि की नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता ने धारा 77 (3) (बी) और धारा 77 (6) में जोड़े गए प्रावधान को भी चुनौती दी। असंवैधानिक कार्य करें। संक्षेप में कहें तो, याचिकाकर्ता की शिकायत यह थी कि ये प्रावधान न्यायिक कार्य करते हुए भी कानून की कोई शिक्षा न रखने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान करते हैं,

जो कि अनुमति योग्य नहीं है और प्रथम दृष्टया कला का उल्लंघन है। संविधान के 14 और 21. याचिकाकर्ता ने इस आशय का सुझाव भी दिया था कि इन पीठासीन अधिकारियों की नियुक्तियाँ उसी प्रकार की जाएँ जिस प्रकार श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।

2. रिट याचिका का प्रतिवादियों द्वारा विभिन्न आधारों पर विरोध किया गया। सबसे पहले, रिट याचिका की स्थिरता पर इस आधार पर हमला किया गया था कि याचिकाकर्ता ने साफ-सुथरे हाथों से उच्च न्यायालय का रुख नहीं किया था और इस तथ्य को छुपाया था कि वह एक पुराना वादी था जिसके विभिन्न मामले सहकारी न्यायालय के समक्ष लंबित थे। इसलिए इस मामले में उनकी निजी रुचि थी. ऐसे में, वह जनहित याचिका की प्रकृति में रिट याचिका दायर करने में सक्षम नहीं थे। गुण-दोष के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसे रजिस्ट्रार, अपर. रजिस्ट्रार आदि एम.पी. की देखरेख में कार्य करते हैं। राज्य सहकारी न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण')। का अध्यक्ष एक न्यायिक अधिकारी होता है। फिर, ये दोनों प्राधिकरण संविधान की धारा 227 के तहत उच्च न्यायालय के समग्र अधीक्षण के तहत कार्य करते हैं। कई अन्य अधिनियमों में प्रशासनिक अधिकारी ऐसे अर्ध न्यायिक कार्य करते हैं।

3. दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता की चुनौती को

खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया।

4. उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर की जाती है। याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ और लिखित दलीलें दाखिल की। बहस के समय उन्होंने उल्लेख किया और पढ़ा

सत्यपाल आनंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य 11

[ए.के. सीकरी, जे.]

उन लिखित निवेदनों में से कुछ अंश निकाले और प्रस्तुत किया कि उसमें जो कुछ है उससे अधिक उन्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने उक्त आदेश को सही ठहराने के लिए आक्षेपित फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क पर भरोसा किया। हमने फैसले का बारीकी से अध्ययन किया है और याचिकाकर्ता की लिखित दलीलों को भी पढ़ा है।

5. इन प्रस्तुतियों पर विचार करने से पहले, हम अधिनियम के उन प्रावधानों को पुन: प्रस्तुत करना चाहेंगे जो वर्तमान चुनौती का विषय हैं:

"3. रजिस्ट्रार एवं अन्य अधिकारी.-

(1) राज्य सरकार एक व्यक्ति को राज्य के लिए सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करेगी और उसकी सहायता के लिए

निम्नलिखित श्रेणियों के एक या अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है, अर्थात्:

(ए) सहकारी समितियों के अतिरिक्त रजिस्ट्रार;

(बी) सहकारी समितियों के संयुक्त रजिस्ट्रार;

(सी) सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार;

(डी) सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार;

(ई) अधिकारियों की ऐसी अन्य श्रेणियां जो निर्धारित की जा सकती हैं।

77.मध्यप्रदेश राज्य सहकारी न्यायाधिकरण।

(3) (बी) अन्य दो सदस्यों में से एक सहकारी विभाग का अधिकारी होगा जो संयुक्त रजिस्ट्रार के पद से नीचे का नहीं होगा और दूसरा गैर-आधिकारिक होगा जो सहकारी आंदोलन से निकटता से जुड़ा होगा या एक वकील या वकील होगा। कम से कम पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए व्यावहारिक अनुभव होना:

12 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 6 एस.सी.आर.

बशर्ते कि यदि राज्य सरकार उचित समझे तो में एक ही व्यक्ति शामिल हो सकता है।

xxxx xxxxxx xxxxx

(6) उपधारा (4) में निहित किसी भी बात के बावजूद, राज्य सरकार किसी भी समय अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति समाप्त कर सकती है, यदि उसकी राय में, ऐसा अध्यक्ष या सदस्य कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ या अयोग्य है। उसके कार्यालय का:

बशर्ते कि इस उपधारा के तहत कोई भी नियुक्ति तब तक समाप्त नहीं की जाएगी जब तक कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति समाप्त करने का प्रस्ताव है उसे ऐसी समाप्ति के खिलाफ कारण बताने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है।

6. इसके साथ, आइए अब सबसे पहले अधिनियम की धारा 3 की वैधता से संबंधित तर्क से निपटें। जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है, धारा 3 सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के साथ-साथ अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार आदि की नियुक्ति से संबंधित है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता की दलील यह है कि चूंकि रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी अधिनियम के तहत न्यायिक कार्य कर रहे हैं, रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार आदि के रूप में नियुक्त किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को आवश्यक रूप से एक कानून व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात् ऐसा व्यक्ति जिसके पास कानून की शिक्षा हो और वह ऐसे न्यायिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हो।

7. इस तर्क की सराहना करने के लिए, हमें अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गौर करना होगा। इसे उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले में विस्तृत रूप से समझाया गया है और याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की योजना को समझाने वाले फैसले के उस हिस्से के संबंध में कोई झगड़ा नहीं किया गया था। इसलिए, हम इसे संक्षेप में दोबारा कह सकते हैं। अधिनियम के प्रावधानों के तहत रजिस्ट्रार सहकारी आंदोलन का कार्यकारी प्रमुख है जिसका उद्देश्य समुदाय के कमजोर वर्गों को ताकत प्रदान करना है और यह एक खुले द्वार की नीति के माध्यम से योगदान पर आधारित है। रजिस्ट्रार को "मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक" माना जाता है और उसे यह देखना आवश्यक है

सहकारी आंदोलन निर्धारित सीमा में रहे। अधिनियम की धारा 8 और 9 रजिस्ट्रार को किसी सोसायटी के पंजीकरण के प्रश्न से निपटने का अधिकार देती है। अधिनियम की धारा 10 के तहत, रजिस्ट्रार के पास सोसायटी को वर्गीकृत करने की शक्ति है, जबकि अधिनियम की धारा 11 और 12 सोसायटी के उप-कानूनों में संशोधन के संबंध में रजिस्ट्रार की शक्ति से संबंधित है।धारा 18 रजिस्ट्रार को सोसायटी के पंजीकरण को रद्द करने का निर्देश देने का अधिकार देती है जबकि अधिनियम की धारा 18-ए

के तहत रजिस्ट्रार सोसायटी के पंजीकरण को रद्द करने का आदेश दे सकता है। अधिनियम की धारा 19-ए के तहत, रजिस्ट्रार किसी व्यक्ति को सोसायटी की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। अधिनियम की धारा 49-डी सोसायटी को नियम बनाने के लिए निर्देश देने की रजिस्ट्रार की शक्ति से संबंधित है। अधिनियम की धारा 53 रजिस्ट्रार को धारा 53 की उपधारा (1) में उल्लिखित आकस्मिकताओं में सोसायटी की समिति के दमन का आदेश देने का अधिकार देती है। उपरोक्त प्रावधानों के तहत, रजिस्ट्रार शुद्ध प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन कर रहा है। अधिनियम की धारा 57, धारा 57 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में सोसायटी के रिकॉर्ड को जब्त करने की रजिस्ट्रार की शक्ति से संबंधित है। धारा 58 रजिस्ट्रार की ऑडिट करने या ऑडिट कराने की शक्ति से संबंधित है। अधिनियम की धारा 59 द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रार को धारा 59(1) में उल्लिखित परिस्थितियों में समाज के मामलों की जांच करने का अधिकार देता है।

8. हालाँकि, कुछ प्रकार के विवादों पर विचार करने और उस पर निर्णय लेने के लिए रजिस्ट्रार को सीमित शक्तियाँ दी गई हैं। ऐसा ही एक प्रावधान अधिनियम की धारा 55 है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि यदि किसी सोसायटी और उसके कर्मचारियों,रजिस्ट्रार या नियुक्त किसी अधिकारी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो रोजगार की शर्तों, काम करने की स्थिति और सोसायटी द्वारा की गई

अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में वह (सहायक रजिस्ट्रार के पद से नीचे का नहीं) विवाद का निर्णय करेगा। इसी तरह, अधिनियम की धारा 64 में प्रावधान है कि रजिस्ट्रार किसी सोसायटी के संविधान, प्रबंधन या व्यवसाय,रोजगार के नियमों और शर्तों या सोसायटी के परिसमापन से संबंधित विवाद का फैसला करेगा।

14 सर्वोच्य न्यायालय रिपोर्ट [2014]6 एस.सी.आर.

9. विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम की उपरोक्त योजना को ध्यान में रखते हुए कानूनी और/या न्यायिक पृष्ठभूमि वाले रजिस्ट्रार की नियुक्ति अनिवार्य हो जाती है? इस कार्यालय में एक कानूनी व्यक्ति की नियुक्ति को उचित ठहराने के प्रयास में, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि रजिस्ट्रार या उसके नामित व्यक्ति द्वारा निर्वहन किए गए कार्यों की प्रकृति और महत्व से पता चलता है कि प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए कानून और अभ्यास का ज्ञान आवश्यक है। उन कार्यों में ऐसे पीठासीन अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य के कानून, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता आदि के प्रावधानों से परिचित होना चाहिए। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि कार्य ऐसे हैं कि ऐसे कार्य का निर्वहन करने वाला प्राधिकारी है इसे "न्यायालय" के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और इस न्यायालय द्वारा ठाकुर जुगल किशोर बनाम सीतामढी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एआईआर 1967 एससी 1494 के मामले

में ऐसा माना गया है। इस निर्णय का बाद में मुकरी गोपालन बनाम चेपिलाट पुथमपुरयिल अबूबकर में पालन किया गया है। एआईआर 1995 एससी 2272 और पी. सारथी बनाम भारतीय स्टेट बैंक एआईआर 2000 एससी 2023।

10. याचिकाकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सहकारी न्यायालय बार एसोसिएशन, बॉम्बे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में 1990 मह.एल.जे. 1064 में माना गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 के अनुसार सहकारी न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के कैडर के पीठासीन अधिकारी और राज्य सरकार को उक्त में निहित निर्देश के अनुसार इन पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए कार्रवाई करनी होगी। दूसरे शब्दों में, इसका मतलब यह होगा कि उनका चयन महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जा सकता है। उस आधार पर, याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति को रजिस्ट्रार आदि के रूप में नियुक्त करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता इन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इन पदाधिकारियों को "सहकारी न्यायालय" के रूप में वर्णित करने की सीमा तक चला गया।

ऐसा नामकरण अधिनियम में प्रदान किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि म.प्र. इन प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली निराशाजनक थी, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक स्थिति पैदा हो गई थी, जिसका कारण यह था कि नियुक्त किए गए व्यक्ति कानूनी पहलुओं के बारे में अनभिज्ञ थे। वे "स्वतंत्र रूप से" भी कार्य नहीं कर रहे थे, हालाँकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना की पहचान थी। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी नियुक्तियों से निष्पक्षता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और तर्कसंगतता को खतरा होता है और समझौता किया जाता है। इस तर्क के समर्थन में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया है।

(2010) 11 एससीसी 11: यओआई बनाम आर गांधी अध्यक्ष बार संघ मद्रास

(2012) 10 एससीसी 353: गुजरात राज्य बनाम गुजरात राजस्व न्यायाधिकरण बार, एसोसिएशन।

(2013) 1 एससीसी 745: नमित शर्मा बनाम यूओआई

11. हमने पहले ही अधिनियम की योजना और उक्त योजना के तहत रजिस्ट्रार के कार्यालय की भूमिका और कार्यप्रणाली पर ध्यान दिया है। रजिस्ट्रार की अधिकांश शक्तियाँ प्रशासनिक प्रकृति की हैं। उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रार कोई भी निर्णय नहीं ले रहा है। वह उक्त अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मुख्य प्रशासनिक

पदाधिकारियों में से एक है। साथ ही, रजिस्ट्रार को कुछ अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ भी दी जाती हैं। इसलिए, उस मामले में अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार, प्रशासकों की प्रमुख भूमिका के साथ, दो टोपी पहने हुए हैं। याचिकाकर्ता का मामला यह नहीं है कि न्यायिक कार्य रजिस्ट्रार से छीनकर किसी अन्य प्राधिकारी को सौंप दिया जाए। याचिकाकर्ता ने कानूनी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को रजिस्ट्रार आदि के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध किया है ताकि वह पक्षों के बीच विवाद को अधिक प्रभावी ढंग से तय कर सके, क्योंकि उनके अनुसार, बिना कानूनी/न्यायिक पृष्ठभूमि वाला कोई भी व्यक्ति उन मामलों का फैसला करने में असमर्थ है। हालाँकि, उलटी स्थिति में वही तर्क दूसरे पक्ष द्वारा भी उठाए जा सकते हैं।

16 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2014] 6 एस.सी.आर.

यदि कानूनी पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति को इनमें से किसी भी पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उसकी नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि ऐसा व्यक्ति अर्ध न्यायिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए उपयुक्त होगा, लेकिन अन्य प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए पूरी तरह से अयोग्य होगा जो प्राथमिक हैं और उक्त कार्यालय से जुड़े दिन-प्रतिदिन के कर्तव्य।

12. हमने अभी भी इसे कुछ महत्व दिया होगा याचिकाकर्ता का तर्क, क्या यह ऐसा मामला था जहां आदेश दिया गया था विवाद का निर्णय करते हुए रजिस्ट्रार को अंतिम निर्णय दिया गया। जो कि नहीं इसलिए। दरअसल, अधिनियम के अध्याय दस के तहत म.प्र. राज्य सहकारी का गठन किया गया है. इस न्यायाधिकरण में अध्यक्ष शामिल हैं और दो अन्य सदस्य। जहां तक अध्यक्ष का सवाल है, धारा 77 (3) (ए) स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा जब तक वह का अध्यक्ष बनने के लिए योग्य न हो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या किसी जिले का पद संभाला हो कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश। इसी तरह, दो के संबंध में के सदस्य, धारा 77(3)(बी) में एक स्पष्ट प्रावधान है शर्त है कि उनमें से एक सहकारिता का अधिकारी होगा विभाग संयुक्त रजिस्ट्रार के पद से नीचे का न हो और दूसरा सहकारी समिति से निकटता से जुड़ा हुआ गैर-सरकारी होगा आंदोलन या एक वकील या व्यावहारिक होने वाला एक वकील कम से कम 15 वर्ष की अवधि का अनुभव। ऐसे के साथ की संरचना, जिसे सुनने की शक्ति दी गई है रजिस्ट्रार या उसके नामांकित व्यक्ति के आदेशों के विरुद्ध अपीलयाचिकाकर्ता की आशंका का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। हम के आदेशों से अपील सुनने के अलावा यह भी पता लगाएं रजिस्ट्रार, को पुनरीक्षण की शक्ति भी दी गई है समीक्षा। इसी तरह की योजनाएँ विभिन्न अन्य क़ानूनों में प्रदान की गई हैं जिसमें लिस की पहली सीढ़ी पर शक्तियां

दी जाती हैं प्रशासनिक अधिकारियों को प्रावधान के साथ इस पर निर्णय लेना है उन आदेशों के विरुद्ध अपील करें। एक उदाहरण सार्वजनिक परिसर है(अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम 1971. ऐसे मामलों में आदेश संपदा अधिकारी और आदेश द्वारा पारित किए जाते हैं संपदा अधिकारी को इसके समक्ष चुनौती देने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है उस अधिनियम की धारा 9 के तहत जिला न्यायाधीश। समान स्थिति कर सकते हैं

भूमि सुधार अधिनियम और विभिन्न अन्य अधिनियमों के तहत पाया जा सकता है।

सत्यपाल आनंद बनाम. मप्र राज्य व अन्य 17 [ए.के.सीकरी, जे.]

13. हम दोहराव की कीमत पर इस बात पर जोर देते हैं कि अधिकांश कार्य प्रशासन और शासन के क्षेत्र में हैं और कुछ अतिरिक्त कर्तव्य अर्ध न्यायिक चरित्र वाले हैं। ऐसी स्थिति में और विशेष रूप से जब एक न्यायाधिकरण का गठन अदालत के सभी प्रावधानों के साथ किया जाता है, तो हमें अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान में कोई गलती नहीं मिलती है जो सरकार को व्यक्तियों को रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करने का अधिकार देती है। सहायक रजिस्ट्रार आदि आवश्यक रूप से कानूनी/ न्यायिक पृष्ठभूमि वाले हों। इसलिए, ऊपर दिए गए हमारे अपने कारणों से इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के फैसले को

बरकरार रखते हुए, अधिनियम की धारा 3 की शक्तियों को चुनौती को खारिज कर दिया गया है।

14. जहां तक अधिनियम की धारा 77 (3) (बी) और धारा 77 (6) के प्रावधानों का सवाल है, हमें इन प्रावधानों को असंवैधानिक मानने का शायद ही कोई कारण दिखता है। धारा 77 सहकारी न्यायाधिकरण से संबंधित है। जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, इस न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष न्यायिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति का अध्यक्ष बनने के लिए तब तक योग्य नहीं है जब तक कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो या जिसने कम से कम 5 वर्षों तक जिला न्यायाधीश का पद संभाला हो। अधिनियम की धारा 77 (3) (बी) नामक प्रावधानों के अनुसार के दो सदस्यों को नियुक्त किया जाना है। योजना से पता चलता है कि दोनों में से एक 'प्रशासनिक सदस्य' होगा और दूसरा 'न्यायिक' हो सकता है। सदस्य' हालांकि ऐसा नामकरण विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं है। हालाँकि, उस प्रावधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि सदस्यों में से एक सदस्य संयुक्त रजिस्ट्रार के पद से नीचे का व्यक्ति नहीं होगा। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने संयुक्त रजिस्ट्रार के रूप में काम किया होगा और उस क्षमता में सहकारी समितियों के कामकाज के बारे में प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया होगा। उस क्षमता में, उन्हें पार्टियों के बीच विवादों को तय करने का कुछ अनुभव भी प्राप्त हुआ होगा जो उन्हें सौंपा

जा सकता था। अन्य सदस्य गैर- आधिकारिक होना चाहिए और वह ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सहकारी आंदोलन से निकटता से जुड़ा हो या कोई वकील या वकील हो।

कम से कम 15 वर्ष की अवधि के लिए व्यावहारिक अनुभव। इसलिए, अन्य सदस्य कानूनी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति हो सकते हैं। संक्षेप में, में अध्यक्ष के रूप में एक पूर्व न्यायाधीश, एक सदस्य जो विभाग में संयुक्त रजिस्ट्रार के उच्च पद पर रहा हो और दूसरा सदस्य या तो कानूनी पृष्ठभूमि वाला या सहकारी आंदोलन से निकटता से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। इस प्रकार, हम इस प्रावधान में भी कोई दोष नहीं पाते हैं।

15. जहां तक अधिनियम की धारा 77(6) का सवाल है, यह राज्य सरकार को अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति समाप्त करने की शक्ति देता है, यदि उसकी राय में, ऐसा अध्यक्ष या सदस्य कार्य करने में असमर्थ या अयोग्य है उसके कार्यालय का कर्तव्य. इस प्रकार, यह शक्ति तभी दी जाती है जब राज्य सरकार ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थता या अयोग्यता के बारे में ऐसी राय बनाती है। यह राय व्यक्तिपरक हो सकती है लेकिन इसे वस्तुनिष्ठ विचार/रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित होना चाहिए। चूंकि राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी है, इसलिए हटाने की शक्ति आवश्यक रूप से

नियुक्ति प्राधिकारी में निहित होनी चाहिए। यह सरकार को प्रदत्त कोई सर्वव्यापी या अनिर्देशित/अविश्लेषित शक्ति नहीं है। इसके अलावा, निर्णय हमेशा न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। किसी दिए गए मामले में यदि शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से या बिना किसी सामग्री के किया जाता है जिसके आधार पर ऐसी राय बनती है, तो इसका निवारण कानून की अदालत द्वारा किया जा सकता है। यह उल्लेख करना और भी महत्वपूर्ण है कि धारा 77 की इसउप-धारा (6) का प्रावधान एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय प्रदान करता है जो इस तरह की समाप्ति के खिलाफ कारण बताओ का उचित अवसर देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य करता है। इस प्रकार, जब ऐसी कार्रवाई पर विचार किया जाता है, तो सरकार कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए बाध्य है जिसमें आवश्यक रूप से कारण/सामग्री शामिल होगी जिसके आधार पर यह विश्वास कायम किया जाता है कि ऐसा अध्यक्ष या सदस्य पद पर बने रहने में असमर्थ या अयोग्य होगा। अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए। नोटिस प्राप्तकर्ता उचित उत्तर देकर इसका खंडन करने के लिए स्वतंत्र होगा। अंतिम राय बचाव पक्ष को जानने और उस पर विचार करने के बाद ही बनेगी। इसलिए, हम सत्यपाल आनंद बनाम. मप्र राज्य व अन्य 19

[ए.के.सीकरी, जे.]

ऐसे प्रावधान को असंवैधानिक मानने का कोई कारण नहीं दिखता। वास्तव में, याचिकाकर्ता द्वारा दायर लिखित दलीलों में, याचिकाकर्ता द्वारा कोई दलील या आधार नहीं लिया गया है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता इन प्रावधानों की निंदा करना चाहता है। इसलिए, हम अधिनियम की धारा 77 (3) (बी) और धारा 77 (6) के आधार परयाचिकाकर्ता की प्रार्थना को भी खारिज करते हैं।

16. हमारी उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों के आधार पर उठाए गए विभिन्न तर्कों का कोई लाभ नहीं है क्योंकि उन निर्णयों की कोई प्रयोज्यता नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिहार और उड़ीसा सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 48 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले रजिस्ट्रार को एक न्यायालय माना जाता है। इसे निम्नलिखित तरीके से कहा गया था:

> "उपरोक्त से यह ध्यान दिया जाएगा कि भूमि के सामान्य नागरिक और राजस्व न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को धारा 48 के तहत आने वाले विवादों के मामले में अधिनियम की धारा 57 के तहत हटा दिया जाता है। धारा 48 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले एक रजिस्ट्रार को अवश्य ही इसलिए, उसे उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य किया जाता है जो अन्यथा देश

के सामान्य नागरिक और राजस्व न्यायालयों पर पड़ते। रजिस्ट्रार के पास न केवल एक न्यायालय की सुविधाएं हैं बल्कि कई मामलों में उसे वही शक्तियां दी गई हैं जो सामान्य न्यायालयों को दी जाती हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा देश के सिविल न्यायालयों को शपथ पर गवाहों को बुलाने और उनकी जांच करने की शक्ति, दस्तावेजों के निरीक्षण का आदेश देने की शक्ति, मुद्दे तय करने के बाद पक्षों को सुनने की शक्ति, अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा करने और यहां तक कि अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की शक्ति भी शामिल है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में उल्लिखित न्यायालय। ऐसे मामले में यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि अधिनियम की धारा 48 के तहत संदर्भित विवाद पर निर्णय देने में, रजिस्ट्रार सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, एक न्यायालय है। वही कार्य और कर्त्तव्य उसी प्रकार हैं जैसे किसी न्यायालय से करने की अपेक्षा की जाती है।"

हालाँकि, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने वाले रजिस्ट्रार को आवश्यक रूप से एक होना चाहिए

न्यायिक/कानूनी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति। उपरोक्त मामले में यह कोई मुद्दा ही नहीं था।

17. जहां तक मुकरिगोपालन के मामले में फैसले का सवाल है, अदालत ने केरल बिल्डिंग लीज रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत धारा 18 के तहत गठित अपीलीय प्राधिकरण की शक्ति पर चर्चा की। मौजूदा मामले में, अपीलीय प्राधिकारी न्यायाधिकरण है जिसका नेतृत्व एक न्यायिक व्यक्ति करता है। आर.गांधी (सुप्रा) में निर्णय फिर से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण से संबंधित है और उसमें बताया गया कानून, न्यायिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की आवश्यकता पर जोर देते हुए, एक न्यायाधिकरण के संदर्भ में है। गुजरात राजस्व न्यायाधिकरण, बार एसोसिएशन केस (सुप्रा) के मामले में भी यही स्थिति है। जहां तक नमित शर्मा (सुप्रा) का सवाल है, उसमें जो कुछ कहा गया है, वह 3 सितंबर, 2013 के फैसले में 2012 की समीक्षा याचिका (सी) संख्या 2309, जिसका शीर्षक यूनियन ऑफ इंडिया बनाम आर है, में दिया गया है। गांधी. न्यायालय इस हद तक पहुंच गया है कि सीआईसी न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है।

18. हम यह बताना चाहेंगे कि ऐसी अर्ध न्यायिक शक्तियां जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत चुनाव आयोग को भी ऐसे मामले में दी जाती हैं, जहां वह यह तय करता है कि किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत किया जाए या नहीं। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1) बनाम समाज

कल्याण संस्थान एवं अन्य के मामले में स्पष्ट किया गया था। 2002 (5) एससीसी 685। इस बात के बावजूद कि उक्त अधिनियम की धारा 29-ए के तहत चुनाव आयोग को न्यायिक रूप से कार्य करना आवश्यक है और आयोग का कार्य, उस क्षमता में, अर्ध न्यायिक है, किसी ने भी यह कहने का साहस नहीं किया है कि ऐसे कार्यों का निर्वहन केवल किया जाना चाहिए न्यायिक/ कानूनी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति द्वारा।

19. उठाए गए प्रश्न का निर्धारण करने के बाद, हम न केवल रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार आदि के रूप में बल्कि के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में भी उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की आवश्यकता पर जोर देना चाहेंगे। अर्ध न्यायिक कार्य का निर्वहन करते समय-

रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार आदि को यह ध्यान रखना होगा कि उन्हें अपने कामकाज में स्वतंत्र होना होगा। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सामने आने वाले विवादों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता हासिल करें। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मामले को उचित और निष्पक्ष रूप से तय करने और कानूनी रूप से टिकाऊ आदेश पारित करने के लिए प्रतिस्पर्धी अधिकारों के प्रति सचेत रहें। इस संबंध में, हम समीक्षा याचिका (सी) संख्या 2309/2012 (नमित शर्मा

मामला) में पारित दिनांक 3.9.2013 के फैसले का उल्लेख करना चाहेंगे। उस मामले में, एक दुर्भाग्यपूर्ण विशेषता जो नोट की गई वह यह थी कि वर्षों के अनुभव से पता चला है कि सूचना आयोगों द्वारा पारित आदेश, कई बार, सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से परे चले गए हैं और सूचना आयोग सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं। अधिनियम कीप्रस्तावना और अन्य प्रावधानों में दर्शाए गए परस्पर विरोधी हित। सूचना आयोगों के कामकाज के बारे में इस अनुभव का कारण या तो यह हो सकता है कि धारा 12(5) और 15(5) में उल्लिखित मानदंडों का जवाब नहीं देने वाले व्यक्तियों को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है या यह कि नियुक्त किए जाने पर भी व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है। वे उपरोक्त मानदंडों का उत्तर देते हैं, उनके पास अधिनियम में इंगित हितों को संतुलित करने के लिए आवश्यक दिमाग नहीं है। इसलिए इस बात पर जोर दिया गया कि अनुभवी उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से करने में सक्षम हों। इस संबंध में कुछ निर्देश दिए गए थे और निर्देशों में से एक यह था कि सीआईसी और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करते समय चयन समिति को प्रत्येक अनुशंसित उम्मीदवार के नाम के सामने सार्वजनिक जीवन में उसकी प्रतिष्ठा को इंगित करने वाले तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए (जो कि आवश्यकता है) उस अधिनियम के प्रावधान), विशेष क्षेत्र में उसका ज्ञान और अनुभव और ये तथ्य नियुक्ति के

बाद, उस अधिनियम के तहत सूचना के अधिकार के हिस्से के रूप में नागरिकों के लिए सुलभ होने चाहिए।

20. उपरोक्त निर्देशों से सुराग लेते हुए, और याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल याचिका में कामकाज के बारे में व्यक्त की गई समान निराशाजनक स्थिति से गुज़रना।

22 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 6 एस.सी.आर.

सहकारी समितियों, हम निर्देश देते हैं कि राज्य सरकार अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार आदि को जो कार्य करने की आवश्यकता है और उनके अनुरूप उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी। इसी तरह, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि का अध्यक्ष एक न्यायिक व्यक्ति, अर्थात् उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश होता है, हमारी राय है कि के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए , प्रतिवादी-राज्य आर.गांधी (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले को ध्यान में रखने और उसका पालन करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार, के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए, इन पदों पर चयन अधिमानतः उच्च न्यायालय के परामर्श से लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाना चाहिए।

21. परिणामस्वरूप, उपरोक्त निर्देशों के अधीन, यह विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।

बिभूति भूषण बोस

एसएलपी खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सीमा सांदू (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।